पीएटी योजना का कार्यान्वयन

जिन डीसी (नामित उपभोक्ता) के लिए आधार रेखा (बेस लाइन) अध्ययन पूरा कर लिया गया है, उन्हें मार्च 2015 तक एसईसी कटौती के लक्ष्य दिए गए थे। एसईसी की गणना गेट इन – गेट आउट के सिद्धांत पर की जाती है। विस्तृत विवरण (पीएटी नियमों के पेज 35 से 47) पर दिया गया है:

http://beeindia.in/schemes/documents/nmeee/pat/PAT_Rules_English.PDF)

पीएटी नियम "डीसी (नामित उपभोक्ता) के लिए ऊर्जा खपत प्रतिमान और मानक" इनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख 30.03.2012 से सभी डीसी (नामित उपभोक्ताओं) पर लागू हैं।

नामित उपभोक्ता, संबंधित चक्र के पहले और दूसरे वर्ष के तीन माह के भीतर, उप-नियम (1) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ मान्यता प्राप्त ऊर्जा ऑडिटर द्वारा फॉर्म 'बी' में दिए गए विधिवत् रूप से सत्यापित प्रमाण-पत्र के साथ,ऊर्जा खपत प्रतिमानों और मानदंडों को निर्दिष्ट करने की अधिसूचना की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि को शामिल करते हुए, आनुपातिक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, ब्यूरो को एक प्रति के साथ,सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट एजेंसी को निष्पादन आकलन दस्तावेज (पीएडी) को प्रस्तुत कर सकता है।

1. मान्यता प्राप्त ऊर्जा ऑडिटर (एक्रीडेटेड एनर्जी आडिटर), ऊर्जा खपत प्रतिमानों और मानकों की अनुपालना के लिए नामित ग्राहक द्वारा शुरु की गई प्रत्येक गतिविवधि और उर्जा बचत प्रमाण-पत्र कीपात्रता अथवा आवश्यकता का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।
2. मान्यता प्राप्त उर्जा ऑडिटर, ऊर्जा खपत प्रतिमानों और मानकों के अनुपालन के बारे में नामित ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सत्यता का आकलन करने के लिए-

क) मानक ऑडिटिंग तकनीकों का पालन करेगा;
ख) अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करेगा;
ग) सत्यापन और प्रमाणीकरण के सभी पहलुओं को एकीकृत करेगा;
घ) सत्यापन टीम की राय और निर्णय की स्वतंत्र तकनीकी समीक्षा करेगा;
ङ) उस स्थिति का भी ध्यान रखेगा, जहां कोई विशेष गतिविधि ऊर्जा खपत प्रतिमानों और मानदंडों के अनुपालन के सबंधित गतिविधियों का हिस्सा बन सकती है या हिस्सा नहीं बन सकती और आकलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगे,

जांच सत्यापन:
ब्यूरो ऐसी फर्मों, कंपनियों और अन्य कानूनी संस्थाओं के पैनल को तैयार करने के उद्देश्य के लिए सत्यापन और जांच सत्यापन के काम का जिम्मा लेने के लिए फर्मों, कंपनियों और अन्य कानूनी संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करेगा

1. ऊपर उल्लिखित आवेदनों के साथ पंजीकरण या निगमन जैसा भी मामला हो, का प्रमाण-पत्र भी होना चाहिए।

2. इस तरह प्राप्त आवेदनों की उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुरूप संवीक्षा की जाएगी और और पात्र आवेदकों का एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसे ब्यूरो की वेबसाइट www.bee-india.nic.in पर प्रदर्शित किया जाएगा।
3. चयनित आवेदकों को मान्यता प्राप्त ऊर्जा ऑडिटर के तौर पर सत्यापन और जांच सत्यापन का काम करने के लिए उनके चयन के पक्ष में इमपैनलमेंट का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
4. मान्यता प्राप्त ऊर्जा ऑडिटरों को एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी।
5. जांच-सत्यापन पूरा होने के बाद, मान्यता प्राप्त ऊर्जा ऑडिटर ब्यूरो को फार्म-बी में प्रमाण पत्र के साथ, जांच-सत्यापन रिपोर्ट, जमा करेगा।

ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ESCerts):
नामित ग्राहक को दिए जाने वाले ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्रों की सटीक संख्या और ऐसे ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों की पात्रता निम्नलिखित फार्मूले से निर्धारित होगी:

I) थर्मल पावर प्लांट सेक्टर के लिए:
ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्रों की संख्या = (लक्ष्य वर्ष के लिए अधिसूचित उष्मा दर- लक्ष्य वर्ष में हासिल उष्मा दर) X आधारभूत वर्ष में मिलियन किलोवाट/10।

(II) अन्य क्षेत्रों के लिए:
ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों की संख्या = (लक्ष्य वर्ष के लिए अधिसूचित विशिष्ट ऊर्जा खपत - लक्ष्य वर्ष में हासिल विशिष्ट ऊर्जा खपत) X आधारभूत वर्ष में उत्पादन।

ऊर्जा खपत प्रतिमानों और मानदंडों का अनुपालन.-
लक्ष्य वर्ष के दौरान ऊर्जा खपत केप्रतिमानों और मानदंडों के अनुपालन को प्राप्त करने के उद्देश्य से नामित ग्राहक को, संबंधित चक्र में निम्नलिखित कार्य करने होंगे और उपर्युक्त कार्य करने के बाद, फार्म `ए'जमा करने की अंतिम तिथि से पांच महीनों के अंत तक फार्म डी में ब्यूरो की प्रति के साथ संबंधित विनिर्दिष्ट एजेंसी को अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत करनी होगी।
(क) ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता में सुधार के उपायों का कार्यान्वयन। या
(ख) जहां खंड (क) की शर्तों के अनुरूप कार्यान्वित उपायों को ऊर्जा खपत प्रतिमानों और मानदंडों के अनुपालन को हासिल करने में अपर्याप्त पाया जाता है, नामित ग्राहक समतुल्य मीट्रिक टन तेल के अनुरूप तय की गई ऊर्जा खपत प्रतिमानों और मानदंडों की कमी को पूरा करते हुए समतुल्य उर्जा बचत प्रमाण-पत्र खरीदेगा।

अगले चक्र के लिए नई आधार-रेखा की स्थापना (मार्च 2015 के बाद).-

जैसा कि फार्म- “डी” में रिपोर्ट अनुपालना में उल्लिखित है, लक्षित वर्ष के पूरा
होने पर नामित ग्राहक द्वारा हासिल ऊर्जा खपत के प्रतिमान और मानदंड, अगले चक्र के दौरान नामित ग्राहक के लिए नए संयंत्र विशिष्ट ऊर्जा खपत प्रतिमानों और मानदंडों और मानकों की स्थापना के लिए आधार रेखा होंगे।

पीएटी योजना के कार्यान्वयन के लिए पीसीआरए की सेवाएं

चरण-II: विस्तृत अनिवार्य उर्जा ऑडिट (अनिवार्य ऊर्जा लेखा परिक्षण)

- लक्ष्य वर्ष से लक्षित बचत प्राप्त करने और कार्यान्वयन गतिविधियों को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भविष्यजनित ऊर्जा बचत की पहचान करने के लिए संयंत्र की प्रणालियों/ उप-प्रणालियों/ उपकरणों/ प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत अनिवार्य ऊर्जा लेखा परिक्षण।
- पीएटी की अपेक्षाओं के अनुरूप संयुक्त रूप से फार्म-II एवं III को भरने में सहायता प्राप्त करना।
- लघु, मध्यम और दीर्घ कालिक मितव्ययी ऊर्जा बचत अवसरों की पहचान करना।
- सभी विद्युत प्रणाली, थर्मल प्रणाली, विद्युत संयंत्र की यांत्रिक प्रणाली का विस्तृत अध्ययन,अपशिष्ट उष्मा रिकवरी प्रणाली का अध्ययन, जल गुणवत्ता अध्ययन, रखरखाव और प्रचालन प्रणाली, प्रणाली में नुकसान का आकलन, स्वचालन की संभावना आदि का अध्ययन किया जाएगा।
- इसके अनुकूलन के उद्देश्य से आधार लोड ऊर्जा खपत की पहचान करने के लिए प्रयास करना।
- संपीड़ित वायु, जल प्रबंधन (पम्पिंग प्रणाली), प्रकाश, एयर कंडीशनिंग प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण उपयोगिताओं कीभी ऊर्जा खपत को अनुकूलित करने के लिए विस्तृत जांच होगी।
- ऊपर वर्णित अनुसार सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए Kwh/टन/ MCal/टन & टीओई में वर्तमान विशिष्ट ऊर्जा खपत तय करना।
- सक्षम ऊर्जा संवीक्षक/परीक्षक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही नहीं, बल्कि तय लक्ष्यों से आगे जाने का प्रयास किया जाए ताकि संगठन व्यापार योग्य ऊर्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सक्षम हो सके।
- महत्वपूर्ण खपत केंद्रों पर समय बद्ध कार्यान्वयन गतिविधियों एवं रिव्यू ऊर्जा निगरानी प्रणाली के लिए कार्य योजना विकसित करना।
- लागत लाभ अर्थशास्त्र एवं आवर्ती आधार पर बचत करने के लिए दिशा-निर्देशों के साथ प्रबंधन को विस्तृत ऊर्जा ऑडिट रिपोर्ट सौंपी जाएगी।